



त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे

नर्मदापुरम् संभाग सीहोर जिले एवं जबलपुर से एक साथ प्रकाशित एकमात्र समाचार-पत्र

प्रेरणापुंज -विचित्र कुमार सिन्हा

वर्ष-31 अंक-41

नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) शनिवार 22 मार्च 2025

पृष्ठ-8 मूल्य -1 रूपये

सम्पादक- कृष्णाकान्त सक्सेना

# 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद हो जाएगा समाप्त : अमित शाह



नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने राज्यसभा में कहा, मैं देश को बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। नक्सलवादियों ने समानांतर सरकारें बनाई, समानांतर सरकारें चलाई। नक्सलवाद को समाप्त करने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का 10 साल का विजन है। गृह मंत्री शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने

## भरतपुर में हैवानियत : नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर भाई को मारी गोली

भरतपुर (आरएनएस)। जिले के सेवर थाना इलाके में ईसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। पड़ोसी युवकों ने पहले नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की और दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगे। लड़की ने विरोध किया और जोर से चिल्लाने लगी। चिख-पुकार सुनकर नाबालिग का भाई मौके पर पहुंचा, लेकिन दरिंदों ने उसके ऊपर कट्टे से फायर झोंक दिया। गोली किशोर की जांघ में लगी, जिससे वह घायल हो गया।

## सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण विधेयक पर कर्नाटक विधानसभा में बवाल, 18 बीजेपी विधायक सस्पेंड



बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक विधानसभा आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह थी सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का मामला। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। आज हुए हंगामे के बाद भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे पहले मार्शलों ने भाजपा विधायकों को उठाकर सदन से बाहर किया। कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी



नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की है। इनके हर प्रकार के कम्युनिकेशन और आवाजाही का रेखांकन किया। ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस किया। डाटा एनालिसिस करके अपने सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के मुकाबले अभी नक्सलवाद से जुड़ी हिंसक घटनाएं और सुरक्षाबलों के मारे जाने की संख्या में काफी कमी आई है। कांग्रेस शासनकाल में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब ऐसे केवल 12 जिले बचे हैं। अगले वर्ष 31 मार्च तक ये जिले भी नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे। पहले नक्सल प्रभावित जिलों में एक भी नाइट लैंडिंग हेलीपैड नहीं थे। सुरक्षा बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। नक्सलियों के कई करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। हमने इन इलाकों में विकास के लिए बजट को 300 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया है। हाईवे बनाए और ग्रामीण सड़कें बनाई हैं। मोबाइल टावर लगाए हैं। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आए परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 33 सालों से वहां रात को सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, हमारे शासन में वहां खुले हैं।

## जज के आवास पर नकदी मिलने पर धनखड़ का तंज राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति होता तो चर्चा में आ जाता



नई दिल्ली (ए.)। दिल्ली हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के सरकारी आवास से नकदी की बरामदगी से जुड़ा मामला शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया गया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर एक व्यवस्थित चर्चा बहस करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सत्र में मुद्दा उठाकर न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में

याद दिलाई। कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि शुक्रवार सुबह, हम सभी ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के चीकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया कि इसके पहले, 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में सभापति को एक नोटिस सौंपा था। रमेश ने कहा कि सभापति धनखड़ ने खुद बार-बार न्यायिक जवाबदेही के बारे में बात की है। कांग्रेस नेता रमेश ने धनखड़ को याद दिलाया कि उन्होंने मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस पर कुछ टिप्पणियाँ करें और न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के साथ आने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश दें। नकदी की कथित बरामदगी के मुद्दे पर सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें जिस बात की चिंता है वह यह है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई।

## मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी शुक्रवार को 2 साल 8 महीने का समय जेल में बिताने के बाद रिहा हो गए। उन्हें सात मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों के साथ जमानत मिली थी, जिसके बाद कोर्ट का आदेश करीब 15 दिनों बाद कासगंज जेल पहुंचा और उनकी रिहाई संभव हो सकी।

अब्बास अंसारी की रिहाई उनके परिवार के लिए ईद से पहले एक बड़ी खुशी लेकर आई है। रमजान के पवित्र महीने में जुमे के दिन उनकी रिहाई को उनके समर्थक ईश्वर की कृपा मान रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ का दौरा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकेंगे और अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी।

## दिवाली बोनस न देने और सैलरी काटने पर नाराजगी, बदला लेने के लिए वालक ने खुद बस में लगाई थी आग; चार जिंद जले



नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी कंपनी की बस में लगी आग से चार कर्मचारियों की जान चली गई थी। मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि आग दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश का नतीजा थी। पुलिस के अनुसार, बस चालक जनार्दन हंबरदेकर, कंपनी द्वारा सैलरी कटौती और दिवाली बोनस न मिलने से नाराज होकर बदला लेने की स्थिति में था। पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ ने बताया, जांच से यह सिद्ध हुआ है कि

आग कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत लगाई गई थी। हालांकि, जिन कर्मचारियों की जान चली गई, उनके साथ सीधे विवाद नहीं था। हादसे की घटना बुधवार को पुणे के हिंजवड़ी क्षेत्र में हुई, जब व्योमा ग्राफिक्स के 14 कर्मचारी बस में सवार थे। पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया इसके अलावा उन्होंने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी ने बेंजीन केमिकल खरीदा बताया कि वहां ड्रम और विदेशी हथियारों का था और बस के पोंछने के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तार सीमा पार से होने वाला कपड़ा भी साथ रखा था। जुड़े हैं। अजय माकन ने गृह मंत्रालय के कार्यकाल उसने मार्चिस जलाकर कपड़े में आग लगा दी, जिसके कारण केमिकल की गृह मंत्रालय के अंदर आती है। पूरे देश में प्रत्येक एक वजह से आग तेजी से फैल गई। आग लाख पर 66 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, लगने के बाद, बस चालक स्वयं की लीकन दिल्ली के अंदर प्रत्येक लाख सहिलाओं में 144 श्रुलस गया था, परन्तु अन्य यात्रियों के महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। पूरे देश में साथ वह समय रहते बस से बाहर निकल सबसे अधिक महिलाओं के प्रति अपराध दिल्ली में गया। फिलहाल, आरोपी का अस्पताल में होते हैं। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक 1 लाख इलाज चल रहा है और बाद में उसे बच्चों पर 36 बच्चों के साथ अपराध होते हैं। दिल्ली में प्रति लाख में 134 बच्चों के साथ अपराध होते हैं।

# लाल की जगह गुलाबी रिबन देख भड़क गए एमएलए साहब, पहले जड़ा थप्पड़; फिर सिर पर दे मारा केले का पौधा

नई दिल्ली (आरएनएस)। असम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक समसुल हुदा एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना धुबरी जिले के पूर्वी बिलासीपारा विधानसभा क्षेत्र में एक पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधायक समसुल हुदा को पुल के शिलान्यास के लिए रिबन काटने के लिए आमंत्रित किया गया था। समारोह स्थल पर दो केले के पौधों के बीच गुलाबी रंग का रिबन बांधा गया था। लेकिन विधायक इस बात पर गुस्सा हो गए कि शिलान्यास के लिए लाल रंग का रिबन क्यों नहीं लगाया गया था। वायरल हो रहा यह वीडियो मॉलवार (18 मार्च) का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में भरे विधायक समसुल हुदा पास में खड़े एक व्यक्ति का कॉलर पकड़ते हैं, फिर उसे थप्पड़ मारते हैं और इसके बाद समारोह के लिए लगाए गए केले के दोनों पौधों को उखाड़कर उससे पीटना शुरू कर देते हैं। पीड़ित व्यक्ति की पहचान साहिदुर रहमान के रूप में हुई है, जो पुल ठेकेदार का सहकर्म बताया जा रहा है। इंडिया टुडे नॉर्थ



ईस्ट से बातचीत में साहिदुर रहमान ने कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, तभी विधायक हुदा ने बिना किसी अपरा के मुझ पर हमला कर दिया। मुझे एक जनप्रतिनिधि से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। यह अपमानजनक और दर्दनाक था। खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस द्वारा किसी भी कार्रवाई की सूचना नहीं है। हालांकि, विधायक समसुल हुदा के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है।

## पति-पत्नी को छोड़कर खून के रिश्ते में होगा साझी जमीन का बंटवारा, हरियाणा ने नया कानून किया लागू

चंडीगढ़ (आरएनएस)। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया। जिसके अनुसार अब पति-पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी होगा। साझा भूमि के विवाद के लाख सहारा कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में एक लाख से अधिक केस चल रहे हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया कि नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। ऐसे में उन सभी मामलों में, जहां कोई रक्त संबंधी सह-स्वामित्वकर्ता संयुक्त भूमि पर हिस्सेदारी की मांग करता है, को राहत के लिए नियमों में नई धारा जोड़ी गई है। पति-पत्नी को छोड़कर यह धारा सभी पर लागू होगी, चाहे साझा भूमि के मालिक खून के रिश्ते में ही क्यों न हों। अधिनियम की धारा 114 के अनुसार राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सह-स्वामी अपनी हिस्सेदारी की जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं या नहीं।













